उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-7/2025/403/तीस-4-2025-8(19)/2009 टी0सी0
लखनऊ: दिनांक: 21अप्रैल, 2025

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) की धारा 4 की उपधारा (1) और उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या-1996/30-4-09-8(19)/09, दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 [अधिसूचना संख्या-2297/30-4-10-8(19)/09 टी0सी0, दिनांक 08 नवम्बर, 2010; संख्या-963/तीस-4-2012-8(19)/2009 टी0सी0, दिनांक 19 अक्टूबर, 2012; संख्या-971/तीस-4-2015-8(19)/09 टी0सी0, दिनांक 28 सितंबर, 2015; संख्या-2/2020/576/तीस-4-2020-8(19)/2018 टी0सी0, दिनांक 23 जून,2020; संख्या-12/2020/952/तीस-4-2020-8(19)/2018 टी0सी0, दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 और संख्या-2/2023/341/तीस-4-2020-8(19)/2018टी0सी0, दिनांक 02 मार्च, 2023 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित] का उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करके जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई हो या किये जाने हेतु लोपित हो, राज्यपाल नीचे दिये गये अनुसूची-1 और अनुसूची-2 के स्तंभ-2 में दिये गये मोटर यानों के वर्ग के सम्बन्ध में स्तंभ-3 में दी गयी कर की दरें नियत करते हैं:-

अनुसूची-1

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नए यानों (गैर परिवहन) पर एक बारीय कर की दर

क्र0 सं0	यान का विवरण	कर की दर (रुपये में)
1	2	3
1	(क) मूल्य रुपये 40,000 तक के दोपहिया	यान के मूल्य का 07 प्रतिशत
	(ख) मूल्य रुपये 40,000 से अधिक के दोपहिया	यान के मूल्य का 10 प्रतिशत
2	(क) मूल्य रूपये 10 लाख तक के दोपहिया से भिन्न मोटर यान (गैर-वातानुकूलित)	यान के मूल्य का 08 प्रतिशत
	(ख) मूल्य रूपये 10 लाख तक के दोपहिया से भिन्न मोटर यान (वातानुकूलित)	यान के मूल्य का 09 प्रतिशत
	(ग) मूल्य रुपये 10 लाख से अधिक के दोपहिया से भिन्न मोटर यान (वातानुकूलित तथा गैर-वातानुकूलित दोनों)	यान के मूल्य का 11 प्रतिशत
3	यानों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर	ट्रेलर के मूल्य का 02 प्रतिशत

परंतु यह कि पहले से रजिस्ट्रीकृत यानों पर एक बारीयकर, पूर्व अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए ऐसे यानों पर एक बारीय प्रचलित कर की धनराशि में पाँच प्रतिशत की छूट देकर गणना की जायेगी, परंतु यह छूट पचहत्तर प्रतिशत की धनराशि से अधिक नहीं होगी। इस प्रयोजन हेतु एक वर्ष की अवधि की संगणना यान के प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से की जायेगी तथा एक वर्ष से कम की अवधि को छोड़ दिया जाएगा।

परन्तु यह और कि यदि कोई परिवहन यान, पूर्वोक्त अधिनियम, 1997 की धारा-4 उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना में यथा उल्लिखित एक बारीय कर के संदाय के पश्चात, उपरोक्त अनुसूची-1 के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट, मोटरयान अधिनियम 1988(अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) के अधीन गैर परिवहन यान में परिवर्तित हो जाता है तो ऐसा यान इस अधिसूचना के अधीन कर संदत्त किया गया समझा जायेगा।

परन्तु यह भी कि उपर्युक्त अनुसूची-1 के स्तम्भ 2 के क्रमांक-1 और 2 के सम्मुख ई-रिक्शा को छोड़कर यथा विनिर्दिष्ट मोटर यान को, इलेक्ट्रिक यान (ईवी) होने पर, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में यथा विनिर्दिष्ट कर में शतप्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी। उपर्युक्त छूट निम्नवत् लागू होगी:

(एक) (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के क्रियान्वित किये जाने के दिनांक) 14.10.2022 से दिनांक 13.10.2025 तक उत्तर प्रदेश राज्य में क्रयकृत एवं रजिस्ट्रीकृत किसी इलेक्ट्रिक यान (ईवी) पर।

(दो) दिनांक 14.10.2022 को अधिसूचित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 की प्रभावी अवधि के चौथे और पांचवे वर्ष अर्थात् दिनांक 14.10.2025 से 13.10.2027 तक उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्मित, क्रयकृत तथा रजिस्ट्रीकृत किसी इलेक्ट्रिक यान (ईवी) पर।

स्पष्टीकरण : इस परन्तुक के प्रयोजनार्थ ''इलेक्ट्रिक यान (ईवी)'' का तात्पर्य किसी इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करने वाले ऐसे समस्त ऑटोमोबाइलों से है, जो बैटरी, अल्ट्राकैपेसिटर अथवा ईंधन सेल द्वारा चालित होते हैं। इनमें समस्त दो पहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक यान (एचईवी), प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक यान (पीएचईवी) , बैटरी इलेक्ट्रिक यान (बीईवी), तथा फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक यान (एफसीईवी) सम्मिलित हैं।

अनुसूची-2

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 4 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन पुराने यानों (गैर परिवहन) पर देय वार्षिक कर की दर

क्र0 सं0	यान का विवरण	कर की दर(रुपये में)
1	2	3
1	दोपहिया	200
2	(क) लदान रहित यान वजन 1000 किलोग्राम तक के ग़ैर दोपहिया यान	1000
	(ख) लदान रहित यान वजन 1000 से अधिक और 5000 किलोग्राम तक के ग़ैर दोपहिया यान	2000
	(ग) लदान रहित यान वजन 5000 किलोग्राम से अधिक के ग़ैर दोपहिया यान	3000
3	यानों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर	200

आज्ञा से,

एल. वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-7/2025/403(1)/तीस-4-2025-8(19)/2009 टी0सी0, तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना आदेश को दिनांक 21 अप्रैल, 2025 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव

संख्या-7/2025/403(2)/तीस-4-2025-8(19)/2009 टी0सी0, तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव

संख्या-7/2025/403(3)/तीस-4-2025-8(19)/2009 टी0सी0, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
2- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5- स्टेट ट्रान्सपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, कैसरबाग, लखनऊ।
6- अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व), उत्तर प्रदेश।
7- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राम स्वरुप
अनु सचिव

http://transport.up.gov.in

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 7/2025/403/xxx-4-2025-*8(19)/2009TC,* dated 21 April, 2025:

Notification

No. 7/2025/403/xxx-4-2025-*8(19)/2009TC*

Lucknow; Dated : 21 April, 2025

In exercise of the powers under sub-section (1) and proviso to sub-section (1) of section 4 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (U.P. Act no. 21 of 1997) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) and in supersession of Notification no. 1996/30-4-09/8(19)/09, dated 28th October, 2009 [*as amended from time to time vide Notification nos. 2297/30-04-10-8(19)/09TC, dated November 08, 2010; 963/XXX-4-2012-8(19)/2009TC, dated October 19, 2012; 971/XXX-4-2015-8(19)/09TC, dated September 28, 2015; 2/2020/576/xxx-4-2020-8(19)2018TC, dated June 23, 2020; 12/ 2020/952/xxx-4-2020-8(19)-2018TC, dated October 01, 2020 and 2/2023/341/xxx-4-2020-8(19)2018TC, dated March 02, 2023*], except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Governor is pleased to fix the rates of tax as set out in Column-3 respective to the class of motor vehicles as set out in Column-2 of Schedule-I and Schedule-II as given below:-

SCHEDULE-I

Rate of one-time tax on new vehicles (non-transport) under sub-section (1) of section 4 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997

Sl. No.	Description of vehicles	Rate of tax (in rupees)
1	2	3
1.	(a) Two Wheelers, having cost upto Rs 40,000/-	07 percent of the cost of vehicle
	(b) Two Wheelers, having cost more than Rs 40,000/-	10 percent of the cost of vehicle
2.	(a) Motor vehicles (Non AC) other than two wheeler having cost upto Rs. 10 lakh	08 percent of the cost of vehicle
	(b) Motor vehicles (AC) other than two wheeler having cost upto Rs. 10 lakh	09 percent of the cost of vehicle
	(c) Motor vehicles (Both AC/Non AC) other than two wheeler having cost more than Rs. 10 lakh	11 percent of the cost of vehicle
3.	Trailers drawn by vehicles	02 percent of the cost of trailers

Provided that one-time tax on already registered vehicles shall be calculated by giving exemption of five percent in amount of prevailing one-time tax for each year of earlier period of such vehicles, but this exemption shall not exceed seventy-five percent of the amount. For this purpose, the period of one year shall be computed from the date of initial registration of the vehicle and period less than one year shall be ignored:

http://shasanadesh.up.gov.in

Provided further that if a transport vehicle, after payment of one-time tax as mentioned in the notification under sub-section (2) of section 4 of the aforesaid Act of 1997, is converted into a non-transport vehicle under the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) as specified in Column-2 of the Schedule-I above, such vehicle shall be deemed to have paid the tax under this notification:

Provided also that the motor vehicles as specified against serial numbers 1 and 2 of Column-2 of Schedule-I above shall be given 100 percent exemption of tax as specified in Column-3 of the said Schedule, for being Electric Vehicle (EV) excluding the e-rickshaw. The above exemption is applicable as follows:

(I). on any electric vehicle (EV) purchased and registered in the State of Uttar Pradesh from 14.10.2022 (date of implementation of Uttar Pradesh Electric Vehicle Manufacturing and Mobility Policy, 2022) upto 13.10.2025;

(II). on any electric vehicle (EV) manufactured, purchased and registered in the State of Uttar Pradesh in the fourth and fifth year of effective period of Uttar Pradesh Electric Vehicle Manufacturing and Mobility Policy, 2022 notified on 14.10.2022 i.e. from 14.10.2025 to 13.10.2027.

Explanation: For the purpose of this proviso, "Electric vehicle (EV)" means all automobiles using an electric motor that is driven by batteries or ultra-capacitors or fuel cells. This includes all 2-wheeler, 3-wheeler and 4-wheeler Strong Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), Battery Electric Vehicle (BEV) and Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV).

SCHEDULE-II

Rate of annual tax on old vehicles (non-transport) under proviso to sub-section (1) of section 4 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997

Sl. No.	Description of vehicles	Rate of Tax (in rupees)
1	2	3
1.	Two Wheelers	200
2.	(a) Non-two wheeler vehicles having unladen vehicle weight up to 1000 Kgs.	1000
	(b) Non-two wheeler vehicles having unladen vehicle weight more than 1000 Kgs and up to 5000 Kgs.	2000
	(c) Non-two wheeler vehicles having unladen vehicle weight more than 5000 Kgs.	3000
3.	Trailers drawn by vehicles	200

By order,

L. Venkateshwar Lu
Principal Secretary.

http://krishisanchay.up.gov.in